रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 647] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 13, 2014/फाल्गुन 22, 1935
No. 647] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 13, 2014/PHALGUNA 22, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2014

आयकर

का.आ. 756(अ).—जबकि केन्द्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके बाद में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 80-झक की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 50 (अ) दिनांक 8 जनवरी, 2008 जिसे बाद में अधिसूचना सं. का.आ. 1605 (अ) दिनांक 2 जुलाई, 2008 और अधिसूचना सं. का.आ. 1210 (अ) दिनांक 21 मई, 2010 के तहत संशोधित किया गया है, के द्वारा औद्योगिक पार्क के लिए एक स्कीम तैयार व अधिसूचित की है ;

और जबकि मैसर्स रूपा इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय पता 401, रूपा प्लाजा, जवाहर रोड में स्थित है, प्लॉट संख्या 17 एवं 18, सेक्टर सख्या 30ए, ग्राम-वाशी, नवी मुम्बई में "प्लेटिनम टैक्नो पार्क आईटी पार्क" नामक एक औद्योगिक पार्क विकसित कर रहा है।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 80-झक की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन उक्त खंड (iii) के प्रयोजनार्थ मैसर्स रूपा इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित तथा अनुरक्षित और प्रचालित किए जा रहे प्लॉट संख्या 17 एवं 18, सेक्टर संख्या 30ए, ग्राम-वाशी, नवी मुम्बई में स्थित "प्लेटिनम टैक्नो पार्क आईटी पार्क" नामक उपक्रम को इसके प्रारंभ होने की तारीख अर्थात 02.02.2009 से एक उपक्रम और परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

अनुबंध

वे शर्तें और निबंधन जिन पर मैसर्स रूपा इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए भारत सरकार का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(i)	औद्योगिक उपक्रम का नाम	मैसर्स रूपा इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नई दिल्ली
(ii)	प्रस्तावित अवस्थान	401, रूपा प्लाजा, जवाहर रोड प्लॉट संख्या 17 एवं 18, सेक्टर संख्या 30ए, ग्राम-वाशी, नवी मुम्बई में स्थित "प्लेटिनम टैक्नो पार्क आईटी पार्क" नामक एक औद्योगिक पार्क विकसित कर रहा है
(iii)	निर्मित न्यूनतम फर्शी क्षेत्र	15,000 वर्ग मीटर
(iv)	प्रस्तावित औद्योगिक कार्यकलाप	जैसा कि औद्योगिक पार्क स्कीम, 2008 में परिभाषित है
(v)	औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित आबंटन योग्य क्षेत्रफल की प्रतिशतता	75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक
(vi)	वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्धारित आबंटन योग्य क्षेत्रफल की प्रतिशतता	10 प्रतिशत अथवा उससे कम
(vii)	औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या	52 इकाइयां
(viii)	औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की तिथि	2.9.2009

2. औद्योगिक पार्क को उपक्रम द्वारा प्रस्तुत और नवी मुम्बई नगर निगम द्वारा जारी प्रमाणपत्र में यथा उल्लिखित प्रारंभ होने की तारीख अर्थात 2.9.2009 को विकसित हुआ माना जाएगा।

3. औद्योगिक पार्क का स्वामी एक ही उपक्रम होना चाहिए।

4. अधिनियम के अन्तर्गत उपक्रम को कर लाभ औद्योगिक पार्क में न्यूनतम तीस यूनिटों के अवस्थापित होने के बाद ही उपलब्ध होगा। औद्योगिक यूनिटों की न्यूनतम संख्या की संगणना के लिए किसी व्यक्ति तथा उसके संबद्ध उद्यमों की सभी उद्यमों को एक इकाई माना जाएगा।

5. संबद्ध उद्यम की इकाइयों सहित कोई भी औद्योगिक इकाई आबंटन योग्य क्षेत्रफल के पच्चीस प्रतिशत से अधिक जगह नहीं घेरेगी।

6. अधिनियम के अन्तर्गत कर लाभ इस अधिसूचना के तहत अधिसूचित उपक्रम को ही उपलब्ध होगा न कि किसी अन्य व्यक्ति को जो बाद में किसी भी कारणवश अधिसूचित औद्योगिक पार्क विकसित करे, या विकसित तथा प्रचालन करता है अथवा अनुरक्षण तथा प्रचालित करता है।

7. उपक्रम अन्य शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन इस अधिसूचना में उल्लिखित औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की तारीख के संगत कर-निर्धारण वर्ष से शुरू होने वाले पंद्रह वर्षों में से किसी निरंतर दस वर्षों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झक 4(iii) के तहत अपने विकल्प पर कटौती का दावा कर सकता है।

8. औद्योगिक पार्क में स्थित औद्योगिक इकाइयां केवल वहीं कार्यकलाप करेंगी जिन्हें औद्योगिक पार्क स्कीम, 2008 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

9. उपक्रम को औद्योगिक पार्क के लिए अलग खाता-बही रखेगा तथा नियत तिथि तक आयकर विभाग को अपनी आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

10. यह अधिसूचना तब अमान्य हो जाएगी तथा मैसर्स रूपा इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नई दिल्ली ऐसी अमान्यता की किसी अप्रत्यक्ष परिणामों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा, यदि

(i) आवेदन जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है, में गलत सूचना/मिथ्या जानकारी पाई जाती है अथवा कुछ वस्तुगत सूचना इसमें नहीं दी गई है,

(ii) यह औद्योगिक पार्क के अवस्थान के लिए है जिसके लिए किसी अन्य उपक्रम के नाम पर पहले ही स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

11. उपक्रम प्रपत्र आईपीएस-।। में एक वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

12. इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ औद्योगिक पार्क स्कीम, 2008 में शामिल शर्तों का उस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए जिसके लिए इस स्कीम के अन्तर्गत लाभ उठाए जाने हैं। केन्द्र सरकार उपर्युक्त स्वीकृति को वापस ले सकती है, यदि उपक्रम किसी भी शर्तों का पालन करने में असमर्थ रहता है।

13. केन्द्र सरकार की स्वीकृति के बिना परियोजना प्लान में किसी संशोधन अथवा भविष्य में पता चलने अथवा आवेदक की ओर से किसी वस्तुगत तथ्य को प्रकट करने में असमर्थता के कारण औद्योगिक पार्क की स्वीकृति अमान्य हो जाएगी।

[अधिसूचना सं. 14/2014/फा.सं. 178/77/2010-आकनि-I)]

दीपशिखा शर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2014

INCOME-TAX

S.O. 756(E).— Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by clause(iii) of sub-section (4) of section 80-IA of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961)(hereinafter referred to as the said Act), has framed and notified a scheme for industrial park, by the notifications of the Government of India vide number S.O. 50 (E), dated the 8thth January, 2008 subsequently amended vide Notification No. S.O. 1605 (E), dated 2nd July 2008 and vide Notification S.O. No. 1210 (E) dated 21.5.2010.

And whereas M/s. Rupa Infotech & Infrastructure Limited having its registered office at 401, Rupa Plaza, Jawahar Road is developing an Industrial Park named "Platinum Techno Park IT Park" placed at Plot No.17 & 18, Sector No.30A, Village-Vashi, Navi Mumbai.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of section 80-IA of the said Act, the Central Government hereby notifies the undertaking from the date of commencement i.e. 02.02.2009, being developed and being maintained and operated by M/s. Rupa Infotech & Infrastructure Limited, as an undertaking and the project named "Platinum Techno Park IT Park" placed at Plot No.17 & 18, Sector No.30A, Village-Vashi, Navi Mumbai for the purposes of the said clause (iii) subject to the terms and conditions mentioned in the annexure of the notification.

ANNEXURE

The terms and conditions on which the approval of the Government of India has been accorded for setting up of an industrial park by M/s. Rupa Infotech and Infrastructure Limited, New Delhi.

(i)	Name of the Industrial	:	Rupa Infotech & Infrastructure Limited, New Delhi.
(ii)	Proposed location	:	401, Rupa Plaza, Jawahar Road is developing an Industrial Park named "Platinum Techno Park IT Park" placed at Plot No.17 & 18, Sector No.30A, Village-Vashi, Navi Mumbai
(iii)	Minimum Constructed Floor Area	:	15,000 square meters.
(iv)	Proposed industrial activities	:	As defined in Industrial Park Scheme, 2008
(v)	Percentage of allocable	:	75% or more

	area earmarked for Industrial use		
(vi)	Percentage of allocable area earmarked for commercial use	:	10% or less
(vii)	Minimum number of industrial units	:	52 Units
(viii)	Date of commencement of the Industrial Park	:	2.9.2009

2. The Industrial Park shall be construed as developed on the date of commencement i.e. 2.9.2009 as mentioned in the Certificate furnished by the undertaking and issued by the Navi Mumbai Municipal Corporation, Mumbai.

3. The Industrial Park should be owned by one undertaking.

4. The tax benefits under the Act will be available to the undertaking only after minimum number of thirty units are located in the Industrial Park. For the purpose of computing the minimum number of industrial units, all units of a person and his associated enterprises will be treated as a single unit.

5. No industrial unit, alongwith the units of an associated enterprise, shall occupy more than twenty five percent of the allocable area.

6. The tax benefits under the Act will be available only to the undertaking notified vide this notification and not to any other person who may subsequently develop, develops and operates or maintains and operates the notified industrial park, for any reason.

7. The undertaking subject to the fulfillment of other conditions, may at its option claim deduction under section 80IA (4)(iii) of the Income tax Act, 1961 for any ten consecutive assessment years out of fifteen years beginning from the assessment year relevant to the date of commencement of industrial park mentioned in this notification.

8. The Industrial units located in the industrial park shall undertake only those activities as specified in Industrial Park Scheme, 2008.

9. The undertaking must keep separate books of accounts for the industrial park and must file its income tax returns by the due date to the income-tax department.

10. The notification will be invalid and M/s Rupa Infotech and Infrastructure Private Ltd., Mumbai shall be solely responsible for any repercussions of such invalidity, if

(i) the application on the basis of which the approval is accorded by the Central Government contains wrong information/misinformation or some material information has not been provided in it.

(ii) it is for the location of the industrial park for which approval has already been accorded in the name of another undertaking.

11. The undertaking shall furnish an annual report to the Central Board of Direct Taxes in Form IPS-II.

12. The conditions mentioned in this notification as well as those included in the Industrial Park Scheme, 2008 should be adhered to during the period for which benefits under this scheme are to be availed. The Central Government may withdraw the above approval in case the undertaking, fails to comply with any of the conditions.

13. Any amendment of the project plan without the approval of the Central Government or detection in future, or failure on the part of the applicant to disclose any material fact, will invalidate the approval of the industrial park.

[Notification No. 14/2014/ F.No. 178/77/2010-ITA-I]

DEEPSHIKHA SHARMA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Co ntroller of Publications, Delhi-110054.